न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

<u>राजस्व अपील संख्या 19/2015</u>

अपीलांटस

1. रूगसिंह पुत्र सुजानसिंह
2. नरपतसिंह पुत्र सुजानसिंह
   जाति राजपूत निवासी
   चाडार तहसील रामसर
   जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेटस

1. रतनसिंह पुत्र जयसिंह के
   कायम मुकाम
   1/1 रतनकंवर पत्नी
   रतनसिंह
   1/2 गजेसिंह पुत्र रतनसिंह
   1/3 पदमसिंह पुत्र
   भवानीसिंह
2. गंभीरसिंह पुत्र जयसिंह
3. हीरसिंह पुत्र जयसिंह के
   कायम मुकाम
   3/1 राणसिंह पुत्र हीरसिंह
   3/2 इन्द्रसिंह पुत्र हीरसिंह
   3/3 हठेसिंह पुत्र हीरसिंह
   3/4 हेमकंवर पत्नी हीरसिंह
4. रामसिंह पुत्र जयसिंह के
   कायम मुकाम
   4/1 अखेसिंह पुत्र रामसिंह
   4/2 इन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह
   4/3 सोहनसिंह पुत्र रामसिंह
   4/4 मोरकंवर पत्नी रामसिंह
5. मंगलसिंह पुत्र जयसिंह
6. मोहनकंवर पत्नी रतनसिंह
7. रतनकंवर पत्नी रतनसिंह
8. असतकंवर पत्नी भगवानसिंह
9. पदमसिंह पुत्र भगवानसिंह
10. गजेसिंह पुत्र रतनसिंह
11. हेमकंवर पत्नी हीरसिंह
12. राणसिंह पुत्र हीरसिंह
13. इन्द्रसिंह पुत्र हीरसिंह
14. हठेसिंह पुत्र हीरसिंह
15. मोरकंवर पत्नी रामसिंह
16. अखेसिंह पुत्र रामसिंह
17. इन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह
18. श्यामसिंह पुत्र रामसिंह
19. उगमकंवर पत्नी उम्मेदसिंह
20. ईश्वरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
21. गणपतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

22. बाईराजकंवर पत्नी हुकमसिंह
23. धनसिंह पुत्र हुकमसिंह
24. विरेन्द्रसिंह पुत्र हुकमसिंह
25. नरेन्द्रसिंह पुत्र हुकमसिंह
26. छगनकंवर पुत्र राजसिंह
27. बहादुरसिंह पुत्र राजसिंह
28. तनसिंह पुत्र राजसिंह
29. उगमसिंह पुत्र फतेहसिंह
30. हिन्दूसिंह पुत्र फतेहसिंह
31. सत्यपालसिंह पुत्र फतेहसिंह
32. देशकंवर पत्नी गोपालसिंह
33. सवाईसिंह पुत्र गोपालसिंह
34. यशपालसिंह पुत्र गोपालसिंह
जातियान राजपूत निवासी
चाडार मदरूप तहसील
रामसर जिला बाड़मेर
35. पांचाराम पुत्र मगाराम
36. हमीराराम पुत्र मगाराम
37. छगनी देवी पत्नी हमीराराम
38. लालीदेवी पत्नी पांचाराम
जाति मेघवाल निवासी चाडार
तहसील रामसर जिला
बाड़मेर
39. रतनाराम पुत्र अमराराम
40. लक्ष्मणराम पुत्र अमराराम
जाति जाट निवासी रामदेव
मंदिर चाडार तहसील रामसर
जिला बाड़मेर
41. दलाराम पुत्र तुलछाराम
42. गोमाराम पुत्र तुलछाराम
43. केसीदेवी पत्नी दलाराम
44. रामचन्द पुत्र किस्तुराराम
45. भगाराम पुत्र तुलछाराम
46. हीराराम पुत्र तुलछाराम
जाति जाट निवासी
पाबूदानसिंह की ढाणी चाडार
तहसील रामसर जिला
बाड़मेर
47. मुराद पुत्र सुआला
48. एलियास पुत्र सुआला
49. खमीशा पुत्र सुआला
जाति मुसलमान निवासी पांधी
का पार तहसील रामसर
50. रेशम कंवर पत्नी विरेन्द्रसिंह
51. मोहनकंवर पत्नी रतनसिंह

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

52. बाघसिंह पुत्र हरीसिंह
जाति राजपूत निवासी चाडार
मदरूप तहसील रामसर
जिला बाड़मेर

53. तहसीलदार रामसर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 13.07.2015 द्वारा तहसीलदार रामसर।

उपस्थित– 1. अपीलांटस संख्या 2
2. रेस्पोंडेंटस संख्या 3/3, 21, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 41, 42, 44, 45, 46 व 47
3. रेस्पोडेंटस संख्या 53 तहसीलदार रामसर ।

निर्णय दिनांक 17.5.2018

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 52 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा चाडार मदरूप में खसरा नंबर 11 रकबा 53.07 बीघा, मौजा पाबूदानसिंह की ढाणी में खसरा नंबर 67 रकबा 135.15 बीघा, खसरा नंबर 78 रकबा 41.016 बीघा, खसरा नंबर 81 रकबा 591.17 बीघा, खसरा नंबर 12 रकबा 432.13 बीघा, खसरा नंबर 150/12 रकबा 156.10 बीघा, खसरा नंबर 13 रकबा 115.01 बीघा, खसरा नंबर 77 रकबा 190.10 बीघा, खसरा नंबर 82 रकबा 181.12 बीघा, खसरा नंबर 134 रकबा 24 बीघा, खसरा नंबर 66 रकबा 185. 15 बीघा, खसरा नंबर 63 रकबा 120.07 बीघा, खसरा नंबर 108 रकबा 345.06 बीघा, मौजा मघासर डेर में खसरा नंबर 413 रकबा 93.01 बीघा, खसरा नंबर 398 रकबा 121.07 बीघा, मौजा हिण्डिया में खसरा नंबर 86 रकबा 153.06 बीघा, मौजा पाबूसरिया में खसरा नंबर 72 रकबा 25.08 बीघा, खसरा नंबर 76 रकबा 20.18 बीघा, खसरा नंबर 78 रकबा 14.17 बीघा, खसरा नंबर 99 रकबा 29 बीघा, खसरा नंबर 100 रकबा 59.02 बीघा, खसरा नंबर 107 रकबा 91.06 बीघा, खसरा नंबर 244/73 रकबा 79.08 बीघा, खसरा नंबर 246/73 रकबा 13.12 बीघा, खसरा नंबर 26 रकबा 111.02 बीघा तथा मौजा सालारिया कलारिया में खसरा नंबर 27 रकबा 37.11 बीघा तहसील रामसर में आई है। उक्त भूमि पर अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस का संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त है तथा पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर काश्त करते आ रहे है तथा अपनी–अपनी आवासीय ढाणियॉ बनाई हुई है। अपीलांटस ने रेस्पोडेंटस संख्या 1 से 52 के समक्ष वादग्रस्त खेतों का मौके पर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

कब्जा काश्त व पूर्व में किये गये बाहामी बंटवाड़ा अनुसार उक्त भूमि का विभाजन करने व पक्षकारान की पृथक–पृथक खातेदारी अंकन का प्रस्ताव रखे जाने पर समस्त पक्षकारान ने अपनी सहमति दी, जिस पर दोनो पक्षो ने पटवारी हल्का से सम्पर्क कर विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तैयार करवाये। पटवारी हल्का द्वारा समस्त खसरो में तदानुसार विभाजन रेखा डालकर नक्शा तैयार किया। अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 52 ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा कर प्रस्ताव राजस्व अभियान 2015 में रेस्पोडेंट संख्या 53 तहसीलदार रामसर के समक्ष पेश किये। आवेदन पेश करने के पश्चात अपीलांटस के घर चले जाने के बाद रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 ने पटवारी हल्का को प्रभावित कर इस विभाजन हेतु तैयार किये गये नक्शो को बदलते हुए अपीलांटस व रेस्पोडेंटस द्वारा नक्शो पर किये गये हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान पर दोबारा रेस्पोडेंटस के कहे अनुसार नक्शा तैयार कर पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार रामसर के समक्ष पेश किया। इस समस्त कार्यवाही का अपीलांटस को कोई ज्ञान नहीं होने दिया तथा अपीलांटस के शिविर से चले जाने के बाद विभाजन आदेश दिनांक 13.07.2015 तहसीलदार रामसर **से** पारित करवाया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न्याय आपके द्वार कार्यक्रम 2018 के तहत राजस्व कोर्ट केम्प रामसर में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान को नोटिस की तामीली करा दी गई है। अपीलांटस संख्या 02 एवं रेस्पोडेंटस संख्या 3/3, 21, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 41, 42, 44, 45, 46 व 47 उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 53 की ओर से तहसीलदार रामसर उपस्थित रहे।

3. अपीलांटसं संख्या 02 ने कथन किया कि तहसीलदार रामसर द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांटस की अनुपस्थिति में तस्दीक किया गया। अपीलांटस के अनपढ होने के कारण उन्होने अपने हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान कर कागजात रेस्पोडेंटस व पटवारी हल्का को दिये, उसके बाद अपीलांटस को जानकारी दिये बिना हल्का पटवारी के साथ मिलकर पेश कर दिया। अपीलांटस व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 52 के मध्य पूर्व मे

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

हुए बाहामी बंटवाड़े के अनुसार नहीं किया गया तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता है, जिसके कारण अपीलांटस की ढाणियॉ, बाड़े आदि रेस्पोडेंटस के कब्जे मे चले गये। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 81 मौजा पाबूदानसिंह की ढाणी में रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने पर भी बंटवाड़े में खातेदारी अधिकार दिये गये है, जो विधि अनुसार सही नहीं है। अपीलांटस को खसरा नंबर 12 मौजा पाबूदानसिंह की ढाणी में हिस्सा दिया गया है, जबकि खसरा नंबर 12 में अपीलांटस का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा न ही खातेदारी में नाम अंकित है। रेस्पोडेंट संख्या 52 करीब 20 वर्ष से लापता है, जो वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार है, इसकी अनुपस्थिति मे उसके खातेदारी अधिकार समाप्त कर बंटवाड़ा किया गया है, जो विधि विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है।

4. रेस्पोडेंट संख्या 3/3, 21, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 41, 42, 44, 45, 46 व 47 द्वारा कथन किया कि राजस्व अभियान वर्ष 2015 के दौरान् समस्त पक्षकारान द्वारा संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन करने हेतु अपनी सहमति दी गई थी। उसी सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये। इसमें किसी प्रकार की कोई मिलीभगत नहीं है। तहसीलदार रामसर द्वारा पारित किया गया विभाजन आदेश दिनांक 13.07.2015 विधि सम्मत होने से अपीलांटस की अपील खारिज की जाये।

5. हमने उभय पक्षो को सुना गया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार रामसर द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 13.07.2015 के विरूद्व पेश की है। अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 52 की संयुक्त पैतृक खातेदारी भूमि मौजा चाडार मदरूप में खसरा नंबर 11 रकबा 53.07 बीघा, मौजा पाबूदानसिंह की ढाणी में खसरा नंबर 67 रकबा 135.15 बीघा, खसरा नंबर 78 रकबा 41.016 बीघा, खसरा नंबर 81 रकबा 591.17 बीघा, खसरा नंबर 12 रकबा 432.13 बीघा, खसरा नंबर 150/12 रकबा 156.10 बीघा, खसरा नंबर 13 रकबा 115.01 बीघा, खसरा नंबर 77 रकबा 190.10 बीघा, खसरा नंबर 82 रकबा 181.12 बीघा, खसरा नंबर 134 रकबा 24 बीघा, खसरा नंबर 66 रकबा 185.15 बीघा, खसरा नंबर 63 रकबा 120.07 बीघा, खसरा नंबर 108 रकबा 345.06 बीघा, मौजा मघासर डेर में खसरा नंबर 413 रकबा 93.01 बीघा, खसरा नंबर 398 रकबा 121.07 बीघा, मौजा हिण्डिया में खसरा नंबर 86 रकबा 153.06 बीघा, मौजा पाबूसरिया में खसरा नंबर 72 रकबा 25.08 बीघा, खसरा नंबर 76 रकबा 20.18 बीघा, खसरा नंबर 78 रकबा 14.17 बीघा, खसरा नंबर 99 रकबा 29 बीघा, खसरा नंबर 100 रकबा 59.02

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

बीघा, खसरा नंबर 107 रकबा 91.06 बीघा, खसरा नंबर 244/73 रकबा 79.08 बीघा, खसरा नंबर 246/73 रकबा 13.12 बीघा, खसरा नंबर 26 रकबा 111.02 बीघा तथा मौजा सालारिया कलारिया में खसरा नंबर 27 रकबा 37.11 बीघा तहसील रामसर में आई है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 52 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार रामसर के समक्ष आवेदन पत्र मय प्रस्ताव पेश किया। उक्त सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त बाई मिटस एवं बाउण्डस के अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामसर ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटस नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामसर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार खातेदारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना करते हुए पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

निर्णय कोर्ट केम्प रामसर में आज दिनांक 17.5.2018 को खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)